

भारत सरकार वित्त मंत्रालय केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो 19, माल रोड, मुरार, ग्वालियर - 474006	 सत्यमेव जयते	Government of India Ministry of Finance Central Bureau of Narcotics 19, The Mall, Morar, Gwalior (M.P.) - 6
(PBX) : (91) 751-2368996E-MAIL: narcom@bsnl.in		
F.No. II(3)34/Estt/UDC to DOS/2022 -656		Dated, the 15 April, 2025

Estt. Order No.17/2025

As per the findings of DPC for the year 2024 for promotion of Upper Division Clerk to the grade of Deputy Office Superintendent (DOS) held in the office of Narcotics Commissioner on 26.12.2024, the following Upper Division Clerk is hereby promoted to the grade of Deputy Office Superintendent in Level-6 of pay matrix Rs. 35,400 to 1, 12,400/- with effect from 26.12.2024

1. The official should note that:

(a) If he does not accept the offer of promotion within 10 days of issue of order and fail to report for duty at his place, it will be considered as refusal of promotion and he shall be debarred for promotion to the grade of Lower Division Clerk, for a period of one year.

(b) His seniority will be reckoned on the basis of panel drawn by DPC for the year 2025.

(c) He is required to submit within one month of promotion, his option of fixation of pay on promotion as per DoPT's O.M.No.13/02/2017-Estt.(Pay-I) dated 27th July 2017. However, where the officials have been granted benefit of financial upgradation under the ACP/MACP Scheme, their pay would be fixed in accordance with the provision contained in Para 9 of Annexure to DoPT's O.M. No.35034/1/97-Estt.(D) dated 9.8.1999 and for MACP, provisions contained in DoPT's O.M.No.35034/3/2008-Estt.(D) dated 19.5.2009 respectively.

2. The promotion, in the higher grade, in respect of the officials shall take effect from 01.01.2025 after they take over the charge of higher post.

3. Consequent upon promotion to the grade of Deputy Office Superintendent, the following official is hereby posted in the office as mentioned below:

Sl. No.	Name of officer S/shri	Present Place of Posting	Posted to the office of
1.	Rohit Ranjan	O/o DNC Kota	O/o DNC Kota

4. The concerned Unit DNC/ CCF/ GM shall ensure that if the officer is under suspension or facing any charge sheet or prosecution, he/ she should not be allowed to assume charge of the post of Dy. Office Superintendent and this fact should be reported to this office immediately.

5. If the above officer accepts the promotion in the grade of Deputy Office Superintendent, any further requests for reversion to the feeder cadre in subsequent DPCs will not be considered.

6. The above officer should be relieved and directed to join the new assignment immediately. A compliance report on the same should be sent to the undersigned immediately.

This issues with the approval of Narcotics Commissioner.

—sd—

(Manoj Kumar)

Assistant Narcotics Commissioner

Shri.....

.....

Copy forwarded for information and necessary action to: -

1. The CCF, New Delhi.
2. The Dy. Narcotics Commissioner, CBN, Neemuch/Kota/Lucknow.
3. The General Manager, GOAW, Neemuch/Ghazipur
4. PS to Narcotics Commissioner, CBN, Gwalior.
5. PA to DNC & ANC.
6. The Pay and Account Office, CBN, Gwalior
7. All Section In-charge, CBN, Gwalior.
8. Guard File/Website.



(Manoj Kumar)

Assistant Narcotics Commissioner

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
19, माल रोड, मुरार, ग्वालियर - 474006



Government of India
Ministry of Finance
Central Bureau of Narcotic
19, The Mall, Morar, Gwalior (M.P.) -

स्थापना आदेश संख्या 17/2025

नारकोटिक्स आयुक्त के कार्यालय में अपर डिवीजन क्लर्क को उप कार्यालय अधीक्षक (डीओएस) के ग्रेड में पदोन्नति के लिए वर्ष 2024 के लिए 26.12.2024 को आयोजित डीपीसी के निष्कर्षों के अनुसार, निम्नलिखित अपर डिवीजन क्लर्क को 26.12.2024 से वेतन मैट्रिक्स रु. 35,400 से 1,12,400/- के लेवल-6 में उप कार्यालय अधीक्षक के ग्रेड में पदोन्नत किया जाता है।

1. अधिकारी को ध्यान देना चाहिए कि:

(ए) यदि वह आदेश जारी होने के 10 दिनों के भीतर पदोन्नति के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है और अपने स्थान पर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने में विफल रहता है, तो इसे पदोन्नति से इनकार माना जाएगा और उसे एक वर्ष की अवधि के लिए लोअर डिवीजन क्लर्क के ग्रेड में पदोन्नति के लिए रोक दिया जाएगा।

(ख) उनकी वरिष्ठता की गणना वर्ष 2025 के लिए डी.पी.सी. द्वारा तैयार किए गए पैनेल के आधार पर की जाएगी।

(ग) उन्हें पदोन्नति के एक माह के भीतर डीओपीटी के दिनांक 27 जुलाई 2017 के ओ.एम.सं.13/02/2017-स्था.(वेतन-1) के अनुसार पदोन्नति पर वेतन निर्धारण का अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा। हालांकि, जहां अधिकारियों को ए.सी.पी./आई.वी.आई.ए.सी.पी. योजना के तहत वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया गया है, उनका वेतन डीओपीटी के दिनांक 9.8.1999 के ओ.एम.सं.35034/1/97-स्था.(डी) के अनुलग्नक के पैरा 9 में निहित प्रावधान और एमएसीपी के लिए क्रमशः डीओपीटी के दिनांक 19.5.2009 के ओ.एम.सं.35034/3/2008-स्था.(डी) में निहित प्रावधानों के अनुसार तय किया जाएगा।

2. अधिकारियों के संबंध में उच्च ग्रेड में पदोन्नति, 01.01.2025 से प्रभावी होगी, जब वे उच्च पद का कार्यभार संभालेंगे।

उप कार्यालय अधीक्षक के ग्रेड में पदोन्नति के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित अधिकारी को नीचे

उल्लिखित कार्यालय में तैनात किया जाता है:

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन	स्थान कार्यालय में तैनात
1	रोहित रंजन	0/0 डीएनसी कोटा	0/0 डीएनसी कोटा

4. संबंधित यूनिट डीएनसी/सीसीएफ/जीएम यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि अधिकार निलंबित है या किसी आरोप पत्र या अभियोजन का सामना कर रहा है, तो उसे उप कार्यालय अधीक्षक के पद का कार्यभार संभालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और इस तथ्य की तुरंत इस कार्यालय को सूचना दी जानी चाहिए।

5. यदि उपरोक्त अधिकारी उप कार्यालय अधीक्षक के ग्रेड में पदोन्नति स्वीकार करता है, तो बाद की डीपीसी में फीडर कैडर में वापसी के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. उपरोक्त अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त कर नया कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए जाएं। इस पर अनुपालन रिपोर्ट तत्काल अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाए।

यह नारकोटिक्स आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(मनोज कुमार)

सहायक नारकोटिक्स आयुक्त

श्री....

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. सीसीएफ, नई दिल्ली।
2. उप नारकोटिक्स आयुक्त, सीबीएन, नीमच/कोटा/लखनऊ।
3. महाप्रबंधक, जीओएडब्ल्यू, नीमच/गाजीपुर।
4. नारकोटिक्स आयुक्त के निजी सचिव, सीबीएन, ग्वालियर।
5. डीएनसी/ एएनसी के निजी सचिव।
6. वेतन एवं लेखा कार्यालय, सीबीएन, ग्वालियर।
7. समस्त अनुभाग प्रभारी, सीबीएन, ग्वालियर।
8. गार्ड फाइल/वेबसाइट।